प्रेस विज्ञप्ति
06/08/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने रोज़ वैली समूह के धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों को 12 करोड़ रुपये की राशि वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय न्याय सुनिश्चित करने और निर्दोष निवेशकों के हितों की रक्षा करने में ईडी के अथक प्रयासों को दर्शाता है।

ईडी ने उच्च न्यायालय द्वारा गठित संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) से अनुरोध किया था कि वह ईडी द्वारा कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों की वापसी के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) से संपर्क करे। इसके बाद, एडीसी ने विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत आवेदन दायर किया। रोज़ वैली के प्रमोटरों ने विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष इस कदम का विरोध किया, लेकिन ईडी और एडीसी ने अनुरोध के गुण-दोष के बारे में न्यायालय को सफलतापूर्वक आश्वस्त किया, तथा वास्तविक निवेशकों के पक्ष में कुर्क की गई संपत्तियों को छोड़ने का आदेश प्राप्त किया।

रोज़ वैली समूह ने उच्च रिटर्न और भूमि पार्सल का वादा करके जनता से अवैध जमाराशि एकत्र की थी। ईडी की कड़ी जांच के बाद रोज वैली ग्रुप से जुड़ी कई संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें जब्त किया गया। ईडी ने पीएमएलए के तहत दो मामले दर्ज किए: पहले मामले में 12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई और दूसरे मामले में करीब 1200 करोड़ रुपये के डीड मूल्य की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई। पहले मामले में सुनवाई पहले से ही चल रही है, इसलिए ईडी ने अदालत से संपत्तियों को रिलीज करने का अनुरोध किया, जिससे दूसरे आरोपपत्र में और भी कई संपत्तियों की वापसी का रास्ता साफ हो गया।

माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि 12 करोड़ रुपये वास्तविक दावेदारों को आनुपातिक आधार पर या एडीसी या माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार वितरित किए जाएं। धन प्राप्त करने वाले दावेदारों को बाद में कार्यवाही में या मुकदमे के समापन पर एडीसी या न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर राशि वापस करने या प्रतिपूर्ति करने के लिए एक बांड निष्पादित करना होगा। इसके अतिरिक्त, दावेदारों को इस प्रक्रिया के संबंध में एडीसी द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

रोज़ वैली घोटाले के असहाय पीड़ितों को उनकी संपत्ति वापस दिलाने के लिए ईडी की प्रतिबद्धता इस परिणाम को प्राप्त करने में सहायक रही है। यह सफलता पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ईडी की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है।